न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 09/2024

राजस्थान सरकार जरिये नीरज कुमार जैन, प्रर्वतन अधिकारी, अजमेर।

........प्रार्थी

बनाम

मैसर्स शिव स्वीट्स एण्ड नमकीन

(श्री हिमांशु सैनी पुत्र बिशन लाल सैनी)

गोवा कॉलोनी, श्रृगार चंवरी अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थितः श्री नीरज जैन, प्रर्वतन अधिकारी – पैरोकार सरकार
श्री हिमाशु अप्रार्थी

आदेश

दिनांक 14.08.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 08.4.2024 को कन्ट्रोल रूम जिला कलक्टर, अजमेर से अवैध रूप से गैस भण्डारण की प्राप्त शिकायत की जांच के संदर्भ में जिला रसद अधिकारी अजमेर के निर्देशो की पालना में जांच दल श्री नीरज कुमार जैन, प्रवर्तन अधिकारी तथा श्री योगेश कुमार मिश्रा प्रवर्तन निरीक्षक मौके पर मैसर्स शिव स्वीट्स एण्ड नमकीन गोवा कॉलोनी श्रृंगार चंवरी अजमेर पहुंचे । उक्त व्यवसाय स्थल पर जानकारी लेने पर श्री हिमाशु सैनी उपस्थित मिले, जिन्होंने स्वयं को दुकान मालिक होना बताया । मौके पर ही मुख्य शिकायकर्त्ता श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री भंवर सिंह निवासी श्रृगार चंवरी भी उपस्थित मिले। जानकारी लेने पर श्री नरेन्द्र सिंह ने बताया कि यहॉ मौके पर 40–50 गैस सिलेण्डर किसी एचपी गैस कम्पनी के प्रत्येक समय सप्लाई हेतु रखे होते है। हलवाई की दुकान पर ही ज्वलनशील कार्य होता रहता है। दुकान के पास ही विघुत ट्रांसफार्मर है, परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र रिहायशी इलाका है इससे विस्फोट होने की स्थिति में मानव जीवन खतरे में पड सकता है। मौके पर दुकान उक्त स्थान पर दो घरेलु लाल रंग के 14.02 किग्रा गैस सिलेण्डर व्यावसायिक गतिविधियों में प्रयुक्त पाए गए । गैस सिलेण्डरों के संदर्भ में कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए अप्रार्थी की कब्जे से निम्न घरेलू गैस सिलेण्डरों

जिला कलक्टर
अजमेर

S.NO.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	193280	BPCL	15.3	15.3	
2	388244	HPCL	15.6	30.0	14.0

को कब्जेराज लिया गया। फर्म पर घरेलू गैस सिलेण्डर का चाय/नाश्ता मिठाई बनाकर विक्रय करने के कार्य में घरेलू सिलेण्डर दुरूपयोग करना पाया गया यह घरेलू गैस सिलेण्डरो के व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. सिलेण्डर का दुरूपयोग कर एल.पी.जी. आदेश, 2000 के खण्ड 3 (1)(सी) की अवहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी. सिलेण्डरों को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर अमरदीप गैस एजेन्सी, अजमेर के कार्मिक श्री राहुल शर्मा को आगामी आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुर्पुदगी में दिए गए जिसका सुपुर्दगीनामा अलग से लिखा गया । प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात करने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा सुनवाई चाहन पर उभय पक्ष को को सुना गया।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 08.04.2024 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक दुरूपयोग एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3 (1) (C) का उल्लघंन है, जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः कब्जेराज लिये गये दो घरेलू गैस सिलेण्डरों को राजसात फरमाया जावें।

अप्रार्थी ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अप्रार्थी कामर्शियल सिलेण्डर उपयोग में लाता है। वक्त रीक्षण कामर्शियल सिलेण्डर खत्म होने के कारण घरेलु सिलेण्डर घर से लाकर दुकान लाया था । यह मानवीय भूल है अप्रार्थी को गैस सिलेण्डर लौटाने के आदेश प्रदान करे।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया, साथ ही अप्रार्थी ने आरोप को स्वीकार किया गया है। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 08.04.2024 के अप्रार्थी के उपरोक्त अवैद्य कृत्य अप्रार्थी का स्वतः ही साबित है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये दो गैस सिलेण्डर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। अतः जिला रसद अधिकारी अजमेर उक्त सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 14.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भारती दीक्षित)
जिला कलक्टर, अजमेर